राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–163 / 2025

हमीरा राम मेघवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (राजस्व) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालौर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : **21.01.2025**
आदेश की दिनांक :

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री जितेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में परियोजना अधिकारी (लेखा) के पद पर जिला परिषद्, (ग्रा0वि0प्र0) जालौर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से लेखा अधिकारी, महात्मा गांधी एनआरईजीएस, सिरोही में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को जिला परिषद्, सिरोही से जिला परिषद्, जालौर में स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेश के 11 माह बाद ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का बार–बार स्थानान्तरण के लिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसे कोई कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी

को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे। तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में दिशा–निर्देश एवं नीति का सख्ती से पालन करे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी परियोजना अधिकारी (लेखा) के पद पर जिला परिषद्, जालौर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से लेखा अधिकारी, महात्मा गांधी एनआरईजीएस, सिरोही में प्रशासनिक एवं राज्यहित में किया गया है। किसी भी कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उसे एक ही स्थान पर पदस्थापित रखा जावे। नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य